कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

Website – www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, फोन नम्बर/फैक्स नम्बर – 07722–241599

–:: ई–प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय) ::–

Main Portel : http/eproc.cgstate.gov.in

Municipal Corporation Portal :http:/WWW.nagarnigam,dhamtari.com

क्रमांक/क/आयुक्त/स्था. शाखा/ ई निविदा/2020/ 1943 धमतरी, दिनांक 15/9/2020

टेण्डर सिस्टम नंबर – 67845

नगर पालिक निगम धमतरी को विभिन्न विभागीय कार्यो के लिए **विधुत/यांत्रिकी, सामान्य प्रशासन, उद्यानिकी, राजस्व/बाजार एवं उच्चतर माध्यमिक शाला हेतु कुल 47 उच्चकुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/ अकुशल श्रमिकों** के नियोजन/प्रदाय (निर्धारित शासकीय न्युनतम मजदूरी दर पर) हेतु श्रम विभाग में पंजीकृत एवं कर्मचारी भविष्य निधि में पंजीकृत तथा http//cgeprocurement.gov.in में पंजीकृत श्रम नियोजकों/पंजीकृत एन.जी.ओ./पंजीकृत प्लेसमेंट एजेसियों से श्रमिकों की श्रेणी/कार्य के अनुसार पर्यवेक्षक शुल्क/निविदा दरें प्रतिशत आधार पर (शासन को देय समस्त करों –आयकर, वाणिज्य कर, सर्विस टेक्स एवं श्रमिकों के इन्श्योरेंस, पी.एफ. आदि सहित) दिनांक 05-10-2020 तक ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। इस हेतु अनुमानित लागत राशि 60.00 लाख रू. (प्रतिवर्ष) निर्धारित है। निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक फर्म को निर्धारित अमानत राशि 0.50 लाख रूपये एफ.डी.आर. के रूप में स्पीड पोस्ट के द्वारा ही निगम के पक्ष में जमा किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त कार्य की निविदा की सामान्य शर्ते, निविदा दस्तावेज व कार्य से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी कार्यालयीन अवधि में निगम कार्यालय के स्थापना शाखा से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल **Main portal:eproc.cgstate.gov.in** अथवा विभागीय वेबसाईट www.nagarnigamdhmtari.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, धमतरी

पृ.क्रमांक/क/आयुक्त/स्था. शाखा/ ई निविदा/2020/ 1944 धमतरी, दिनांक 15/9/2020

प्रतिलिपि :–

01. माननीय महापौर महोदय, नगर पालिक निगम, धमतरी।
02. अध्यक्ष (स्पीकर), महोदय नगर पालिक निगम, धमतरी ।
03. प्रभारी सदस्य जल प्रदाय समिति
04. कार्यालय कलेक्टोरेट, जिला – धमतरी।
05. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) धमतरी।
06. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोककर्म निर्माण विभाग धमतरी।
07. प्रेषक, नगर पालिक निगम, धमतरी को सूचना फलक में चस्पा करने हेतु।
08. ग्रंथपाल नगर पालिक निगम, धमतरी को प्रकाशन पश्चात् निविदा सूचना का पेपर कतरन प्रस्तुत करने हेतु।
09. डाटा सेंटर प्रभारी नगर पालिक निगम, धमतरी उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट **Main portal : eproc.cgstate.gov.in** में अपलोड करें तथा डाटा सेंटर रायपुर को भेजे।
10. संपादक प्रतिनिधि दैनिक हरिभूमि/नई दुनिया समाचार पत्र 2x6 से.मी. साईज में उपरोक्त विज्ञापन प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, धमतरी

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी, जिला – धमतरी (छ.ग.)

Website – www.nagarnigamdhamtari.com, Email ID – commissionerdhamtari@gmail.com, Phone/Fax – 07722-241599

–:: श्रमिकों की आपूर्ति हेतु नियम एवं शर्तें (द्वितीय)::–

कार्यालय नगर पालिक निगम धमतरी के विभिन्न शाखाओं में कार्यालयीन कार्यो के सुचारू रूप से संपादन हेतु विभिन्न संवर्ग (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) के 210 श्रमिकों को छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक एफ–04–12/2015/18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.01.2016 के परिपालन में प्लेसमेंट पर श्रमिको को कार्य पर रखा जाना है, जिसके लिए विभागीय आवश्यकतानुसार **विधुत/यांत्रिकी, सामान्य प्रशासन, उद्यानिकी, राजस्व/बाजार एवं उच्चतर माध्यमिक शाला हेतु कुल 47 उच्चकुशल/कुशल/ अर्द्धकुशल/ अकुशल** श्रम नियोजकों से आगामी निविदा के अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिए नीचे दिए शर्तो के आधार पर दर आमंत्रित किया जाना है :–

01. नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा निविदा **आमंत्रण सूचना क्रमांक** ...1943... **दिनांक** 15.09.20 तहत् विज्ञापित कार्य – निगम के विभिन्न विभागीय कार्यो के लिए आवश्यकता अनुसार उच्च कुशल/कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिकों के नियोजन/प्रदाय (निर्धारित शासकीय न्युनतम मजदूरी दर पर) हेतु निविदा में श्रम विभाग में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में, कर्मचारी भविष्य संगठन (ई.पी.एफ.) में तथा http//cgeprocurement.gov.in में पंजीकृत श्रम नियोजक/पंजीकृत एन.जी.ओ./पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसी ही भाग ले सकते है।

02. विज्ञापित कार्य की निविदा में भाग लेने हेतु इच्छुक फर्म/निविदाकार को अपनी फर्म का निम्नांकित दस्तावेजों की स्व–सत्यापित प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

    01. श्रम नियोजन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/श्रम विभाग में पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र/एन.जी.ओ. का पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र/प्लेसमेंट एजेंसी का पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।
    02. G.S.T. में पंजीयन प्रमाण पत्र।
    03. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) में पंजीयन प्रमाण पत्र
    04. विगत 03 वित्तीय वर्षो का आयकर रिटर्न।
    05. किसी भी शासकीय विभाग/नगरीय निकायों में इस प्रकार के कार्यालयीन कार्य हेतु श्रमिक प्रदाय कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं समक्ष अधिकारी द्वारा जारी कार्यादेश की छायाप्रति।
    06. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) में पंजीयन प्रमाण पत्र
    07. इच्छुक निविदाकार/फर्म का विगत 03 वित्तीय वर्षो के किसी भी एक वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्न ओवर राशि कम से कम 100.00 लाख़ का होना चाहिए, जिसकी पुष्टि के लिए पंजीकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापति दस्तावेज।

उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में निविदाकार विज्ञापित कार्य की निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नही होगें तथा ऐसे निविदाकार द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन निविदाएं स्वीकार्य नही होगी।

03. विभागवार श्रमिकों की आपूर्ति के लिए ऑनलाईन निविदा दर प्रतिशत आधार पर (मात्र पर्यवेक्षण शुल्क/सुपरविजन चार्ज) निर्धारित समयावधि तक प्रस्तुत करना होगा। साथ ही कार्य के लिए निर्धारित अमानत राशि का एफ.डी.आर. मूलकापी स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त निर्धारित तिथि/समयावधि तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

04. इच्छुक निविदाकार/अनुबंधित एजेंसी को कार्य में नियोजित किए जाने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों को उनकी श्रेणी (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल) के आधार पर न्यूनतम कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक भुगतान शासन नियमानुसार श्रमिको/कर्मचारियों को देय ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. की राशि संबंधित बैंक/खातों में हस्तांतरित करते हुए भुगतान करना होगा। नियमानुसार जी.एस.टी./सर्विस टेक्स, आयकर आदि शासन को देय होगा। इच्छुक निविदाकार/फर्म को उपरोक्तानुसार देय करों आदि की गणना/आंकलन करते हुए प्रतिशत आधार पर निविदा दर मात्र अपना सुपरविजन चार्ज/पर्यवेक्षण शुल्क का प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with CamScanner

05. सफल निविदाकार को अनुबंध निष्पादन एवं कार्यादेश के समय निगम द्वारा चाही गई दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

06. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

07. निविदा/निविदा दर स्वीकृति हेतु अधिकृत पदाधिकारी **(आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी)** को निविदा के किसी भी स्तर में निविदा शर्तो में आवश्यकता अनुसार संशोधन तथा किसी भी निविदा/प्राप्त निविदा दर को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

08. प्राप्त निविदायें खोलने, निविदायें लिस्टिंग किये जाने के उपरांत प्रथम एवं द्वितीय न्युनतम निविदाकार की जमा निविदा अमानत राशि/एफ.डी.आर. को छोड़कर शेष निविदाकारों की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. वापस/रिलीज कर दी जायेगी। सफल निविदाकार की जमा अमानत राशि/एफ.डी.आर. संतोषप्रद ढ़ग से कार्य सम्पादन एवं कार्यानुबंध की अवधि समाप्ति उपरांत नियमानुसार वापसी योग्य होगी। द्वितीय न्युनतम निविदाकार की अमानत राशि प्रथम निविदाकार के अनुबंध निष्पादन उपरांत वापस किया जावेगा।

09. सफल निविदाकार को निविदा दर की स्वीकृति उपरांत कार्यालयीन सूचना अनुसार निर्धारित समयावधि 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से 100.00 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टेम्प पेपर में कार्यानुबंध निष्पादन करना होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध निष्पादन नहीं करने की स्थिति में विभागवार श्रमिकों की आपूर्ति के लिए सफल निविदाकार/फर्म की जमा अमानत राशि राजसात कर श्रमिकों की आपूर्ति हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

10. अनुबंध उपरांत कार्यादेश जारी किये जाने/आयुक्त महोदय के निर्देश पर विभागीय आवश्यकतानुसार श्रमिक निर्धारित समयावधि के भीतर प्रदाय करना होगा। निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यकतानुसार श्रमिक प्रदाय करने में असफल रहने एवं इससे कार्यालयीन कार्य बाधित होने की स्थिति में सफल निविदाकार/अनुबंधित फर्म की जमा निविदा अमानत राशि/एफ.डी.आर. राजसात कर, स्वीकृत दर पर श्रमिक प्राप्त करने/विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

11. कार्यानुबंध की अवधि दिनांक .... से .... तक 01 वर्ष के लिए होगी, जिसमें उभय पक्षों की सहमति से आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।

12. सफल निविदाकार द्वारा निगम को विभागवार विभिन्न श्रेणी के प्रदायित/नियोजित श्रमिकों को सौपें गए कार्यालयीन कार्य पूर्ण कर्मनिष्ठता एवं दक्षता से किया जावेगा और किये जाने वाले सभी कार्य कुशल कारीगरी के द्वारा किये जावेंगें। सफल निविदाकार द्वारा निगम को प्रदायित/नियोजित श्रमिकों के कार्य की अवधि प्रति दिवस न्युनतम 8 घण्टे (शासन स्तर के अत्यावश्यक कार्यो के दौरान एवं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) होगी।

13. श्रमिकों के कार्य का सत्यापन एवं भुगतान सभी स्थिति में संबंधित विभाग प्रमुख/कार्य के प्रभारी अधिकारी एवं आयुक्त महोदय की संतुष्टि एवं पुष्टि के अधीन होगा। ठेकेदार द्वारा नियोजित/उपलब्ध कराये गए श्रमिकों द्वारा संतोषप्रद कार्य संपादन नहीं करने की स्थिति में कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।

14. अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवश्यकतानुसार श्रमिको की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक का संतोषप्रद कार्य न होने पर आयुक्त/प्रभारी अधिकारी संबंधित श्रमिक को हटाकर दूसरा श्रमिक प्रतिस्थापित कर सकेंगे तथा उनका EPF/ESIC पंजीयन ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित दिया जावेगा।

Scanned with CamScanner

15. ठेकेदार को निगम में कार्यालयीन कार्य हेतु नियोजित/उपलब्ध कराये गए सभी श्रमिकों का पारिश्रमिक/मानदेय बैंक खाते के माध्यम से कलेक्टर दर पर (श्रमिकों के इन्श्योरेंस, पी.एफ. आदि सहित) भुगतान करना होगा। श्रमिकों के मानदेय में शासन/जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर की गई वृद्धि का लाभ ठेकेदार एवं नगर पालिक निगम द्वारा श्रमिकों को देय होगा। ठेकेदार को श्रमिकों के नियोजन/प्लेसमेंट पर कार्य सम्पादन के संबंध में समय–समय पर शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।

16. प्लेसमेंट एजेंसी को प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं सायं कार्य समाप्ति के उपरांत, अर्थात् दो बार बायोमेट्रिक/निष्ठा ऐप में उपस्थिति ली जाना अनिवार्य होगा।

17. प्लेसमेंट एजेंसी को बायोमेट्रिक/निष्ठा ऐप उपस्थिति के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक 10 तारीख के पूर्व अनिवार्यतः, उनके बैंक खाते में मात्र RTGS/NEFT द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ई.पी.एफ., ई.एस.सी.आई. आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आर.टी.जी.एस. ऑनलाईन द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। बैंक द्वारा आर.टी.जी.एस. की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से निकाय को प्रस्तुत की जावेगी। निकाय द्वारा संविदा शर्तो के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।

18. प्लेसमेंट एजेंसी को प्लेसमेंट में नियोजित कर्मचारियों को, जिला कलेक्टर द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

19. आयुक्त द्वारा दिये गए निर्देश पर निर्धारित समयावधि में एवं वांछित संख्या में श्रमिक ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं करा पाने एवं इससे कार्यालयीन/विभागीय कार्य प्रभावित होने की स्थिति में उनके देयक से 5 प्रतिशत की राशि कटौती की जावेगी।

20. ठेकेदार द्वारा बीच में कार्य छोड़ने की स्थिति में अन्य ठेकेदार से उपरोक्त कार्य कराये जाने पर निगम को जो क्षति होगी उसका जिम्मेदार ठेकेदार/अनुबंधित फर्म होगा एवं इसकी वसूली नगर पालिक निगम अधिनियम में निहित प्रावधानों एवं रीति के अनुसार की जावेगी।

21. ठेके पर रखे गये श्रमिक हड़ताल पर नहीं जा सकेगें। यदि श्रमिक हड़ताल पर जाते है तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी, इससे कार्यालयीन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। उपरोक्त परिस्थितियों में ठेकेदार को निगम के कार्यालयीन/विभागीय कार्य हेतु आवश्यकतानुसार श्रमिकों की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

22. शासन द्वारा समय–समय पर प्लेसमेंट श्रमिकों के नियोजन के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का ठेकेदार को पालन करना होगा। साथ ही शासन निर्देशानुसार समस्त विभागों के प्लेसमेंट श्रमिकों/श्रमिक का निष्ठा एप में उपस्थिति पंजी पत्रक का नोडल अधिकारी/स्थापना प्रभारी द्वारा सत्यापन कराया जाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की प्रतिदिवस कार्य 08 घन्टे एवं 06 दिन कार्य करने पर 01 दिन का सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जावेगा।

24. मजदूरी निर्धारण में पैसे पूर्णाकं में लिया जाकर गणना की जावेगी।

25. अनुबंधित एजेंसी को उनके द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान निकाय मद में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी तथा निगम से भुगतान न होने की स्थिति में भी संबंधित श्रमिकों को प्रतिमाह 10 तारीख तक पारिश्रमिक भुगतान किया जाना होगा। अन्यथा स्थिति में अनुबंधित एजेंसी के विरूद्ध नियम शर्तो के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

26. अनुबंधित एजेंसी/ठेकेदार को प्लेसमेंट पर नियोजित प्रत्येक श्रमिक का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार नियोजित श्रमिको का प्रत्येक 03 माह में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

27. अनुबंधित एजेंसी/ठेकेदार को प्लेसमेंट पर नियोजित श्रमिको को वर्ष में 01 बार यूनिफार्म उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य विभाग के श्रमिको को वर्ष में 02 बार मास्क, गम्बूट, दस्ताना आदि उपलब्ध कराना होगा। अग्नि शमन विभाग में नियोजित श्रमिकों को आग से बचाव हेतु फायर सेफ्टी, टूल्स, यूनिफार्म आदि वर्ष में 01 बार उपलब्ध कराना होगा। वाहन चालको को तथा अन्य विभागो में नियोजित श्रमिको को आवश्यकता अनुसार वर्ष में 01 बार यूनिफार्म आदि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

28. ठेकेदार/अनुबंधित एजेंसी द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तो का उल्लघंन किये जाने अथवा अनुबंध शर्तो के अनुसार विभागीय कार्यो का संपादन नही कराये जाने की स्थिति में ठेकेदार/अनुबंधित एजेंसी की जमा निविदा अमानत राशि राजसात करते हुए ठेका निरस्ती की कार्यवाही निगम द्वारा की जा सकेगी।

29. निविदा/कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु **आयुक्त, नगर पालिक निगम धमतरी** का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, धमतरी

Scanned with CamScanner